संख्या-1/1414/38-6-2013-7ए0वी0आर0वाई0/12

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ; दिनांक- 11 दिसम्बर, 2013

विषय- अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-13 सामान्य मद में प्रदेश के सभी 18 मण्डलों हेतु स्वीकृत धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना एवीआरवाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सामान्य मद अनुदान संख्या-13 में रू0 6,00,00,000/- (रूपये छः करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था हुई है जिसमें से शासनादेश संख्या-460/38-6-2012-7एवीआरवाई/2012, दिनांक-11 अप्रैल 2013 द्वारा रू0 3,00,00,000/- रूपये तीन करोड़ मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु स्वीकृति दी गई है 1 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या-जी0ओ0129/कार्य0/अ0वि0रो0यो0/2011-12 दिनांक 20-8-2013 के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के निर्ण्य दिनांक-11-11-2013 के अनुरूप निम्नानुसार उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 3,00,00,000/- रूपये तीन करोड़ मात्र व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- परियोजनान्तर्गत रू0 300.00 लाख की राजकीय सहायता योजना अंश के रूप में उपयोगित होगी। अतएव प्रति रोजगार इकाई प्रति लाभार्थी को रू0 7500/- की आर्थिक सहायता ए0वी0आर0वाई0 अंश के रूप में अनुमन्य होगी। इस प्रकार उक्त् स्वीकृत धनराशि के माध्यम से 4000 रोजगार इाकईयॉ स्थापित की जायेंगी। इन इकाईयों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से 12000 अतिरिक्त रोजगार के अवसर स़ृजित होंगे। अर्थात कुल 16000 रोजगार के अवसर स़ृजित किये जायेंगे।

2- योजनान्तर्गत स्थानीय विशिष्टताओं के अनुरूप रोजगार इकाईयों की स्थापना पर प्रमुखता दी जाये, जिससे लाभार्थी अपने उद्यम में रूचि लेकर अच्छी आय स़ृजित कर सकें और स्थापित रोजगार इकाई से अन्य सहायक आर्थिक कार्य-कलापों में रोजगार अवसर भी विकसित हों।

3- परियोजनान्तर्गत प्रति इकाई लागत जैसा कि उच्च स्तरीय टाक्स फोर्स द्वारा अनुमोदित किया गया है के अनुसार औसत रूप से रू0 80 हजार न्यूनतम होगी। बैंकों से ऋण उपलब्धता एवं रोजगार इकाई की लाभ देयता की दृष्टि से नाबार्ड/प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पी0एम0ई0जी0पी0/मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना एम0एम0जी0आर0वाई0 के अन्तर्गत उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा निर्धारित इकाई लागत के दृष्टिगत उपयुक्त रोजगार इकाई लागत के आधार पर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।

4- उक्त् स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग ए0वी0आर0वाई0 की गाईड लाईन में निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वरोजगार इकाइयों की स्थापना जिला स्तरीय परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति के अनुमोदन तथा राज्य स्तरीय/उच्च स्तरीय टास्कफोर्स की सहमति के अनुरूप निर्धारित प्राविधानों-इकाई लागत, लाभार्थी पात्रता तथा बैंक ऋण व लाभार्थी अंशदान आदि की सुनिश्चितता की जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- रोजगार उद्यम स्वभाव की लागत के अनुसार अलग-अलग आर्थिक कार्य कलापों में लाभार्जन होगा। प्रति इकाई/प्रति लाभार्थी को प्रतिमाह न्यनतम रू0 4000/- की आय अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

6- स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत लच्छित रोजगार प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर को इकाई मानते हुए विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा अनुसरण का दायित्व निर्वहन किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर प्रचार-प्रसार कर लाभार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें जिससे स्वरोजगार हेतु इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी किसी भी दशा में वंचित न रहें और अपात्र लाभान्वित न हो।

7- संस्थागत वित्त की उपलब्धता हेतु अनुमोदित प्रस्तावानुसार कुल लाभार्थियों के लिए ऋण राशि की धनराशि की आवश्यकता के अनुरूप सम्बंधित बैंकों से समुचित समन्वय कर ऋण राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय। आगामी वर्षो के लिये भी समय से लाभार्थियों को वित्तीय व्यवस्था की सुलभता के लिये जनपद स्तरीय बैंक के 'क्रेडिट प्लान' में भी लक्षित लाभार्थियों/परियोजना इकाइयों के अनुसार समावेश कराया जाय। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा भली-भाँति दायित्वों का निर्वहन किया जाय।

8- परियोजनान्तर्गत उत्पादित उत्पाद के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे लाभार्थी अपने उत्पादित सामग्री का एक निश्चित स्थान एवं विपणन संस्था को विक्रय कर अच्छी कीमत प्राप्त कर सकें।

9- परियोजना का लाभ जनसामान्य को मिल सके, अतएव स्थानीय स्तर पर प्रचुर जानकारी दी जाये एवं प्रचार-प्रसार भी व्यवस्थित रूप से किया जाये। परियोजनान्तर्गत सफलता की कहानी का स्वरूप तैयार कर सफल इकाईयों के प्रदर्शन के आधार पर लाभार्थियों का कौशल संवर्धन भी किया जाये जिससे

http://shasanadesh.up.nic.in

कमजोर लाभार्थी भी सफल लाभार्थी का अनुकरण कर अपने रोजगार इकाईयों को ऊँचा उठा सकें।

10-लाभार्थियों का चयन तकनीकी प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन, बैंक से ऋण की उपलब्धता एवं उत्पादित माल की उचित कीमत लाभार्थियों को भुगतान तथा उपयुक्त आय सृजन आदि की सुनिश्चितता हेतु मुख्यालय से लेकर फील्ड तक सभी स्तरों पर नियमित अनुश्रवण, भौतिक सत्यापन तथा अनुसरण कर परियोजना को सफल बनाया जाये। इस हेतु परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित यथा-विकास खण्ड, जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये और अनुमोदित परियोजना प्राविधान के अनुसार विस्तृत दिशा-निर्देश दिये जायें।

11-स्वीकृत इस परियोजनान्तर्गत वित्त पोषण होने के परिणामस्वरूप स्थापित इकाईयों के माध्यम से सृजित होने वाला रोजगार सृजन उपलब्धि में दर्शाया जायेगा।

12-परियोजना के कार्यान्वयन में यह भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि एक ही स्वभाव विशेष की इकाईयाँ स्थापित न हों। अपितु रोजगार सृजन हेतु विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ विकसित करने की दृष्टि से स्वरोजगार हेतु स्वीकृत सभी आर्थिक उद्यमों में इकाईयाँ स्थापित की जायें। कलस्टर एप्रोच में रोजगार इकाईयों की स्थापना हेतु प्रमुखता दी जाये।

13-जिला स्तर पर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्र्गत गठित जिला स्तरीय प्रोजेक्ट निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति में साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाये तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा पाक्षिक समीक्षा कर मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराई जाये। प्रगति आख्या/सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

14-धनराशि का उपयोग अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना की गाइडलाइन्स के अनुक्रम में अनुमोदित परियोजना के अनुमन्य मदों में किया जाये। स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका का बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति या स्वीकृति के प्राप्त करने के बाद ही किया जाये। व्यय में की गई किसी भी अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाये। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाये।

15-परियोजनान्तर्गत स्वरोजगार सृजन के लक्षित उपलब्धि हेतु स्वीकृत धनराशि जनपदों को फांट तैयार कर कार्ययोजना सहित उपलब्ध कराई जाये और जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति लक्ष्यानुसार सुनिश्चित की जाये।

16-योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का इसी वर्ष उपयोग कर लिया जाएगा और फिर भी यदि कोई धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के अंत में शेष रहती है, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समर्पण अथवा राजकोष में जमा की जाये। धनराशि को बैंक खाते में कदापि न रखा जाये। पी0एल0ए0 में भी धनराशि रखने की अनुमन्यता न होगी।

17-स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र शासन को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दिया जाये। ताकि अवशेष धनराशि रू0 3,00,00,000/-तीन करोड़ मात्र की वित्तीय स्वीकृति भी शीघ्र जारी की जा सके।

18-स्वरोजगार हेतु वायबल इकाईयॉ ही स्थापित की जायें एवं उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित करने हेतु सभी बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकजेज की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये।

19-ग्राम्य विकास विभाग में आयुक्त निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा सततरूप से जनपदवार अनुश्रवण कर योजना लक्ष्यों के अनुरूप

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रगति सुनिश्चित किया जाये और राज्य स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रोजगार सृजन योजना को सफल बनाया जाए।

20-योजनान्तर्गत स्थानीय विशिष्टताओं के अनुरूप रोजगार सृजन की पर्याप्त सम्भावनायें पाई गई है। इस संबंध में नाबार्ड के प्रतिनिधि द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण व आरसेटी से प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु सघन प्रयास किये जायें। इस हेतु संबंधित बैंक से समन्वय स्थापित किया जाये।

2 उक्त प्रस्तर-1 के अंतर्गत उप प्रस्तर 1 से 20 में उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के निर्देश तथा उल्लिखित शर्तो का अनुपालन आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा यथा अपेक्षित जनपदों से समन्वय कर सुनिश्चित कराया जायेगा। इस हेुत आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर मुख्य वित्त लेखाधिकारी, अपर आयुक्त (लेखा) तथा एवीआरवाई के परियोजना अधिकारी भी उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,
अशोक कुमार
विशेष सचिव

संख्या-1414(1)/38-6-2013-तद्रदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित;-

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार आडिट प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अपर आयुक्त लेखा ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त व्यय/नियंत्रण अनु0-2/3/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2,

http://shasanadesh.up.nic.in

ग्रा0वि0-3

8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

एम0बी0 सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या -1/1414/38-6-2013-7ए0वी0आर0वाई0/1

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्तश,
ग्राम्ये विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ; दिनांक- 11 दिसम्बनर, 20

विषय- अम्बेनडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तलर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 अनुदान संख्या -13 सामान्यय मद में प्रदेश के सभी 18 मण्ड लों हेतु स्वीाकृत धनराशि की प्रशासनिक स्वीषकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्ता विषयक अम्बीडकर विशेष रोजगार योजना एवीआरवाई के अन्त र्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु सामान्यई मद अनुदान संख्या1-13 में रू0 6,00,00,000/- (रूपये छ; करोड़ मात्र) की बजट व्यसवस्थाक हुई है जिसमें र शासनादेश संख्याग-460/38-6-2012-7एवीआरवाई/2012, दिनांक-11 अप्रैल 20 द्वारा रू0 3,00,00,000/- रूपये तीन करोड़ मात्र की धनराशि आपके निवर्तन प रखे जाने हेतु स्वीवकृति दी गई है 1 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हु कि आपके पत्र संख्या--जी0ओ0129/कार्य0/अ0वि0रो0यो0/2011-12 दिनांक 2(2013 के प्रस्तांव पर सम्यईक विचारोपरान्तध उच्चर स्तशरीय टास्कन फोर्स के दिनांक-11-11-2013 के अनुरूप निम्नातनुसार उक्त स्वीनकृत धनराशि रू0 3,00,00,000/- रूपये तीन करोड़ मात्र व्याय करने की श्री राज्यतपाल महोदय स्वी,कृति प्रदान करते है-